

c vnkyr uk; c rgl hynkj , oe- l gk; d l ekgrkz f}rh; Js kh] Hkokj uk]
ftyk dkxMk ¼fg0 iD½

मुकद्दमा नं0 : /2024

किस्म मुकद्दमा: नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 06-11-2024

मनोज कुमार पुत्र आशा देवी पुत्री ब्रहमा, निवासी चन्जेहड़, डा0 व उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— नाम की दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र आशा देवी पुत्री ब्रहमा, निवासी चन्जेहड़, डा0 व उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसकी माता का असल नाम आशा देवी पुत्र ब्रहमा है, उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है जबकि महाल चन्जेहड़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम पपी पुत्री ब्रहमा दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। अतः महाल चन्जेहड़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता के नाम की दुरुस्ती करके पपी पुत्री ब्रहमा के बजाए पपी उपनाम आशा देवी पुत्री ब्रहमा करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

c vnkyr uk; c rgl hynkj , oe- l gk; d l ekgrkz f}rh; Js kh] Hkokj uk]
ftyk dkxMk ¼fg0iD½

मुकद्दमा नं0 : /2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 06-11-2024

प्रवीन कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी महाल ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म पंजीकरण बारे।

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत प्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी महाल ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 12-10-1985 को गांव ठन्डोल, ग्राम पंचायत ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ था। मगर ग्राम पंचायत ठन्डोल के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति या संस्था को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2024 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र विक्रम सिंह की जन्म तिथि 12-10-1985 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

dk; kly; rgl hynkj , oa dk; ldkjh n. Mkf/kdkjh] tl okj rgl hy tl okj
ftyk dkxMk %g0i0)

मुकद्दमा नं0 : 02/T/C/2024

तारीख दायरा : 21-06-2024

तारीख पेशी : 06-11-2024

रेखा रानी पुत्री रछपाल सिंह, वासी महाल जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—आवेदन पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा में रेखा रानी पुत्री रछपाल सिंह, वासी महाल जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-03-1982 को महाल जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था लेकिन मेरी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटला बेहड़ के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त रेखा रानी पुत्री रछपाल सिंह, वासी महाल जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म का पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2024 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कोटला बेहड़ को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

c vnkyr l gk; d l ekgrk] f}rh; Js kh , oa uk; c rgl hynkj] mi & rgl hy dk&vyk]
ftyk dk&Mk %fg0i 0%

मिसल नं0 : 43/RNTK

किस्म मुकदमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 06-11-2024

अजय सिंह पुत्र रांझा सिंह, निवासी महाल ककड़ोह, मौजा वेही पठियार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

उनवान : नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी अजय सिंह ने इस अदालत में अपना नाम कागजात माल में अजय सिंह करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अजय कुमार दर्ज है जबकि तमाम रिकार्ड में अजय सिंह दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत नकल परिवार रजिस्टर वर्ष 2021-22 महाल ककड़ोह, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अजय कुमार की बजाये अजय कुमार उर्फ अजय सिंह पुत्र रांझा सिंह किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-11-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी का नाम अजय कुमार उर्फ अजय सिंह पुत्र रांझा सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 15-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

c vnkyr Jh l qhy pk&ku] dk; }dkjh n. Mkf/kdkjh] Fkj y] ftyk dk&Mk %fg0i 0%

श्रीमती कुशला देवी पुत्री श्री बुधी सिंह, वासी गांव टम्बर, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

श्रीमती कुशला देवी पुत्री श्री बुधी सिंह, वासी गांव टम्बर, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-10-1954 को गांव टम्बर, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 01-10-1954 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07-11-2024 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती कुशला देवी पुत्री श्री बुधी सिंह, वासी गांव टम्बर, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप—स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01-10-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

c vnkyr | ekgrkl mi & e. My Orgi | j] ftyk dkxMk %fg0i D%

केस नं० : 05/पी/2024

तारीख पेशी : 05-11-2024

1. विजय कुमार पुत्र वीर सिंह, 2. नवल कुमार पुत्र वीर सिंह, 3. सेवा देवी विधवा वीर सिंह, निवासी महाल मोच झिकला, मौजा सुनेट, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
वादीगण।

बनाम

1. पंकज कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 2. अंकज कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 3. लेख राज पुत्र जमीता, 4. रविन्दर कुमार पुत्र जमीता, 5. सुशील कुमार पुत्र मिलखी, 6. रमेश चन्द पुत्र मिलखी, 7. अशवनी कुमार पुत्र मिलखी, 8. करम चन्द पुत्र उत्तम चन्द, 9. रविन्दर कुमार पुत्र उत्तम चन्द, 10. हंस राज पुत्र कूडा राम, 11. संजीत पुत्र हंस राज, 12. कुलदीप पुत्र हंस राज, 13. रोशन लाल पुत्र कूडा राम, 14. जोगिन्दर सिंह पुत्र कूडा राम, 15. राकेश कुमार उर्फ राकेश चन्द पुत्र रणिया, 16. अशवनी कुमार पुत्र रणिया, 17. शीला देवी

विधवा रणिया, 18. कशमीर लाल पुत्र वख्शी, 19. प्रकाश पुत्र खिन्दो, 20. तुला राम, 21. सुरेश कुमार पुत्र तुला राम, 22. सुरिन्दर कुमार पुत्र तुला राम, 23. सुमित कुमार पुत्र सुख लाल, 24. अमित कुमार पुत्र सुख लाल, 25. सतपाल पुत्र जय चन्द, 26. पोली देवी पुत्री जय चन्द, 27. श्वेता देवी पुत्री जय चन्द, 28. जमुना देवी विधवा जय चन्द, 29. रविन्दर कुमार पुत्र कैण्डू, 30. प्रवीन कुमार पुत्र कैण्डू, 31. सुरजीत कुमार पुत्र कैण्डू, 32. अशोक कुमार पुत्र खरुदी, 33. राज कुमार पुत्र खरुदी, 34. संजय कुमार पुत्र किशोरी, 35. प्रीतम सिंह पुत्र किशोरी, 36. खुशी राम पुत्र खरडू, 37. मनोहर लाल पुत्र खरडू, 38. इन्द्रजीत पुत्र खरडू, 39. कूड़ा राम पुत्र दलीपू, 40. अमित चौधरी पुत्र अशोक कुमार, 41. पिकी देवी विधवा अशोक कुमार, 42. मदन लाल पुत्र फंगण, 43. जीवन लाल पुत्र फंगण, 44. सुनील कुमार पुत्र फंगण, 45. नसीव सिंह पुत्र दलीपा, 46. गणेश कुमार पुत्र दूलो राम, 47. गणपत पुत्र दूलो राम, 48. रवि कुमार पुत्र देव राज, 49. अशवनी कुमार पुत्र देव राज, 50. सुन्दर कुमार पुत्र देव राज, 51. कुशल लता पुत्री देव राज, 52. कंचन कुमारी पुत्री देव राज, 53. विमला देवी विधवा देव राज, 54. राजिन्दर कुमार पुत्र मिलखी राम, 55. करनैल सिंह पुत्र मिलखी राम, 56. केवल सिंह पुत्र किकर, 57. शेर सिंह पुत्र किकर, 58. भारत भूषण पुत्र शैलो, 59. राजेश कुमार पुत्र शैलो, 60. राकेश कुमार पुत्र शैलो, 61. विरेन्दरजीत कौर पुत्री उमेशला, 62. ज्ञान सिंह पुत्र भीण्डू, 63. रणजीत सिंह पुत्र रमेश कुमार, 64. रवनीश कुमार पुत्र रमेश कुमार, 65. रन्जू वाला पुत्री रमेश कुमार, 66. रेशमा देवी विधवा रमेश कुमार, 67. किशोरी लाल पुत्र चन्दू, 68. कशमीरी लाल पुत्र किकर सिंह, समस्त निवासी महाल मोच झिकला, मौजा सुनेट, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रतिवादीगण।

अपील तकसीम (तरीका तकसीम) अधीन धारा अपील 14 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 बाबत भूमि खाता नं0 106, कित्ता 312, रकबा 9-76-71 है0 मी0 वाक्या महाल मोच झिकला, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

यह कि अपील तकसीम में प्रतिवादीगण की संख्या बहुत अधिक है और इन्हें साधारण तरीके से समन कर पाना सम्भव न है जिस कारण मिसल अपील तकसीम की कार्यवाही में अनावश्यक देरी हो रही है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा बाबत अपील तकसीम में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 05-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होना सुनिश्चित करें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
समाहर्ता उप-मण्डलाधिकारी फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

c vnkyr l gk; d l ekgrk l i fke Js kh , oa rgl hynkj] /ke l kkyk]
ftyk dkxMk ¼fg0i D½

केस नं0 : 53/24

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

सुरिन्दर कुमार पुत्र देव राज पुत्र मंगते राम, निवासी उप-महाल भागसू नाग (M.C.) धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. बिटू राम पुत्र भुजला देवी, 2. परषोतम सिध, 3. उत्तम चंद, 4. अर्जुन सिंह, 5. सोहन सिंह पुत्र व 6. सुरेखा देवी, 7. सुदर्शना देवी, 8. रीना देवी पुत्रियां व 9. निर्मला देवी विधवा अमर सिंह, 10. सतीश कुमार, 11. अशोक कुमार, 12. परवीन कुमार पुत्र व 13. उर्मिला देवी, 14. गीता देवी, 15. सीमा देवी, 16. केसरी देवी

पुत्रियां भुजला देवी, 17. लाजों देवी, 18. विक्रमा देवी, 19. गीता देवी, 20. भोतु, 21. फिनि, 22. सनीता, 23. सीता पुत्रियां श्री कंठ, 24. लकेश कुमार पुत्र व 25. रक्षा कुमारी, 26. मीना, 27. निर्मला विधवा प्रकाश चंद, 28. महल लाल पुत्र व 29. हल्लों देवी विधवा भगत उपनाम भगत राम, 30. पूर्ण चंद पुत्र व 31. धोनी देवी पुत्री भौर, 32. संतोष कुमार पुत्र व 33. इन्दिरा देवी, 34. सीमा देवी पुत्रिया व 35. विमला देवी विधवा प्रेम दास, 35. संसार चंद पुत्र पूर्ण चंद, 37. दीप पुत्र व 38. निर्मला पुत्री रुक्मणी, 39. सगरांधु विधवा अदालती, 40. अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 41. ओंकार सिंह पुत्र अदालती, 42. लक्ष पाल पुत्र सुरिन्दर पाल, निवासी उप-महाल भागसू नाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.— तकसीम भूमि खाता नं0 143, खतौनी नं0 324 ता 341, खसरा कित्ता 67, रकबा तादादी 10345-46 SQ Mtrs वाक्या महाल उप-महाल भागसू नाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी सुरिन्दर कुमार पुत्र देव राज पुत्र मंगते राम, निवासी उप-महाल भागसू नाग (M.C.) धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-11-2024 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
